

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 437]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 अगस्त 2022—श्रावण 10, शक 1944

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2022

क्रमांक/203/443/2022/ए-16, मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन 1958) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के, रात्रि 9.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे के बीच महिलाओं के कामकाज से संबंधित धारा 25 के उपबंध, नीचे विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, संपूर्ण मध्यप्रदेश में समस्त दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों की स्थापना को लागू नहीं होंगे, अर्थात् :-

निबंधन और शर्तें

- (1) नियोजक तथा अन्य उत्तरदायी व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे कार्यस्थलों अथवा संस्थाओं में यौन उत्पीड़न के कृत्यों को होने से रोकें और यौन उत्पीड़न के कृत्यों के संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाते हुए अभियोजन की कार्यवाही करें।
- (2) कार्यस्थल या स्थापना से संबंधित सभी नियोजक अथवा भारसाधक व्यक्ति यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए समुचित कदम उठाएंगे और इस संबंध में उन्हें निम्नलिखित कदम उठाना चाहिए:-

(एक) यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध जैसे अवांछनीय यौन व्यवहार चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष या शारीरिक संपर्क तथा यौन स्वीकृति के लिए मांग अथवा अन्य कामासक्त फब्तियां, अश्लील साहित्य दिखाना अथवा यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक संपर्क,

(दो) यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध करने वाले आचरण और अनुशासन से संबंधित नियम अथवा विनियम स्थापना के प्रबंधन द्वारा विरचित किए जाएंगे और उन नियमों में अपराधियों के विरुद्ध समुचित शास्तियों का उपबंध करना तथा विद्यमान स्थायी आदेशों में जहां भी आवश्यक हों, संशोधन प्रस्तावित करना;

(तीन) कार्य, आराम, स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से कार्य करने की समुचित परिस्थितियां उपलब्ध करवाना और यह भी सुनिश्चित करना कि कार्यस्थलों पर महिलाओं के प्रति कोई प्रतिकूल वातावरण न हो और किसी भी महिला कर्मचारी को यह न लगे कि वह अपने नियोजन के संबंध में किसी अलाभकारी स्थिति में है।

- (3) किसी आपराधिक मामले की दशा में नियोजक बिना विलंब किए दंड विधि के अनुसार समुचित कार्रवाई प्रारंभ करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि पीड़ित या साक्षियों पर जब वे यौन उत्पीड़न के मामलों की शिकायतों के संबंध में कार्य कर रहे हों, कोई अत्याचार अथवा भेदभाव न हो और जहां कहीं परिस्थितियों के कारण यह आवश्यक हो, प्रभावित कर्मकार के निवेदन पर अपराधी को किसी अन्य स्थान पर भेज दें या उसका स्थानांतरण कर दें। नियोजक, यदि ऐसा आचरण नियोजन में, कदाचरण की परिधि में आता हो तो समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा;
- (4) दुकानें एवं वाणिज्यिक संस्थानों के नियोजक शिकायतों के संबंध में एक तंत्र संधारित करेंगे तथा उक्त तंत्र शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करेंगे। इस तंत्र में जब आवश्यक हो एक शिकायत समिति, एक विशेष परामर्शी तथा अन्य सहायक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी तथा ऐसे मामलों में गोपनीयता बनाए रखी जाएगी।
- (5) शिकायत समिति की मुखिया कोई महिला होगी और इसके सदस्यों में से आधे से अनधिक महिलाएं होंगी। इसके अलावा समिति में गैर शासकीय संगठन का एक प्रतिनिधि सम्मिलित होगा और ऐसे व्यक्ति को यौन उत्पीड़न के मामलों से परिचित होना चाहिए;

- (6) महिला कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति, विशेष रूप से इस विषयक दिशा निर्देशों को सहजदृश्य स्थान पर अधिसूचित करके, जागरूक बनाया जाएगा;
- (7) जब कभी किसी तीसरे पक्षकार द्वारा या तो किसी कृत्य द्वारा या किसी लोप द्वारा उत्पीड़न किया जाता है वहां नियोजक तथा स्थापना का भारसाधक व्यक्ति, प्रभावित व्यक्ति को सहायता देने तथा निवारक कार्रवाई करने की दृष्टि से सभी आवश्यक तथा युक्तियुक्त कदम उठाएगा;
- (8) दुकानें एवं वाणिज्यिक संस्थानों की स्थापनाओं का नियोजक न केवल स्थापना के भीतर अपितु स्थापना के आसपास और उन समस्त स्थानों में जहां कि अपने कार्य के सिलसिले में महिला कर्मियों को जाना आवश्यक हो, समुचित प्रकाश व्यवस्था करेगा;
- (9) नियोजक यह देखेगा कि महिला कर्मी दस से कम के बैच में नियोजित न हों और रात्रिकाल में नियोजित महिला कर्मी कुल संख्या के दो तिहाई से कम न हों;
- (10) रात्रिकाल के दौरान प्रवेश और निकली दोनों ही स्थानों पर महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी;
- (11) महिला कर्मियों को जल्दी आ जाने तथा कार्य के समय के पश्चात् प्रतीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में शेड उपलब्ध कराए जाएंगे;
- (12) महिला कर्मियों के लिए पृथक से केन्टीन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी;
- (13) नियोजक अथवा स्थापना के स्वामी द्वारा महिला कर्मियों को पृथक से परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नियोजक द्वारा महिला कर्मियों को रात्रि शिफ्ट में उनके निवास से कार्य स्थल तक लाने/वापस पहुँचाने की व्यवस्था सुरक्षित परिवहन द्वारा किया जावेगा;
- (14) नियोजक, रात्रि के लिए कम से कम दो महिला वार्डन नियुक्त करेगा जो विशेष कल्याण सहायक के रूप में परिभ्रमण और कार्य करेंगी;

- (15) स्थापना समुचित चिकित्सा सुविधाएं और अत्यावश्यक होने पर टेलीफोन कनेक्शन भी उपलब्ध कराएगा और जहाँ रात्रि के समय सौ से अधिक महिला कर्मी नियोजित हों वहाँ आपाताकालीन स्थिति जैसे अस्पताल आदि में भर्ती करने की दशा में एक पृथक वाहन तैयार रखा जाएगा;
- (16) जहाँ दुकानें एवं वाणिज्यिक संस्थानों स्थापनाओं द्वारा महिला कर्मियों के लिए भोजन तथा ठहरने की व्यवस्था की जाती है तो उसे केवल महिलाओं के लिए ही और महिला वार्डन अथवा सुपरवाइजरो के नियंत्रण में रखा जाएगा;
- (17) रात्रि के समय कम से कम एक तिहाई सुपरवाइजर या शिफ्ट इंचार्ज या फोरमेन या अन्य सुपरवाइजरी कर्मचारिवृन्द महिलाएं होंगी;
- (18) जहाँ महिला कर्मियों को दिन की अवधि से रात्रि की अवधि में तथा रात्रि की अवधि से दिन की अवधि में परिवर्तित किए जाने का प्रावधान हो वहाँ रात्रि अवधि और अंतिम अवधि के बीच में लगातार बारह घंटों से कम का विश्राम नहीं होगा;
- (19) नियोजक द्वारा कार्य के घंटों के संबंध में मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 तथा अन्य संवैधानिक प्रावधानों का तथा समान पारिश्रमिक के भुगतान और अन्य श्रम कानूनों का अनुसरण किया जाएगा;
- (20) मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत प्राप्त सुविधाओं के अतिरिक्त महिला कर्मियों को माहवारी की अवधि में एक अतिरिक्त अवकाश की सुविधा भी अनुज्ञेय होगी जो कि रात्रि अवधि के लिए एक सवैतनिक अवकाश होगा;
- (21) ऐसी महिला कर्मियों की, जो रात्रि में काम करती हों प्रमुख नियोजक के साथ उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से, आठ सप्ताह में एक बार शिकायत दिवस के रूप में बैठक होगी और नियोजक समस्त न्यायोचित तथा युक्तियुक्त शिकायतों को पूरा करने का प्रयास करेगा;
- (22) नियोजक को यह स्वतंत्रता होगी कि यह रात्रि की अवधि के दौरान पूर्णतः अथवा भागतः महिला कर्मियों को नियोजित करे बशर्ते उपर्युक्त निर्देशों का पालन किया जाए;
- (23) नियोजक, रात्रि की अवधि में नियोजित कर्मचारियों के ब्यौरों की एक मासिक रिपोर्ट शासकीय श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम आयुक्त को प्रतिमाह भेजेगा और जब कभी कोई आकस्मिक घटना हो तो उसकी त्वरित रिपोर्ट शासकीय श्रम अधिकारी/ सहायक श्रम आयुक्त के साथ ही स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी भेजेगा।

No. *1283* /443/2022/A-16, In exercise of the powers conferred by sub – section (2) of section 3 of the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958 (No. 25 of 1958), The State Government, hereby, directs that the provision of section 25 of the said Act related to working hours of women between 9:00 PM to 7:00 AM shall not apply to All Shops and Commercial Establishments in the whole of the State of Madhya Pradesh subject to the terms and conditions specified below, namely :-

Terms and conditions

- (1) It shall be the duty of the employer or other responsible persons the work places or institutions to prevent the commission of acts of sexual harassment and to proceed for prosecution of acts of sexual harassment by taking all steps required;
- (2) All employers or persons in charge of work place or establishment related to Shops and Commercial Establishment should take appropriate steps to prevent sexual harassment and they should take the following steps:
 - (i) Express prohibition or sexual harassment in any form such as unwelcome sexual behaviour either directory or by implication or to gain contact or demand sexual favour or make sexually coloured remarks or showing pornography or any other unwelcome physical contact of sexual nature;
 - (ii) The rules or regulations shall be framed by the management of the establishment relating to conduct and discipline prohibiting sexual harassment and provide for appropriate penalties in such rules against the offenders and also introduce amendments wherever necessary which are existing in the Standing Orders;

- (iii) Provide appropriate working conditions in respect of work, leisure, health and hygiene to further ensure that there is no hostile environment towards women at work places and no woman employee should have reasonable grounds to believe that she is disadvantaged in connection with her employment;
- (3) In case of any criminal case the employer shall initiate appropriate action in accordance with the penal law without delay and also ensure that victims or witnesses are not victimized or discriminated while dealing with the complaints of sexual harassment and wherever necessary, at the request of the affected worker, shift or transfer the perpetrator, if circumstances warrant. The employer shall take appropriate disciplinary action if such conduct amounts to misconduct in employment;
- (4) The employer of the Shops and Commercial Establishment shall maintain a complaint mechanism in the establishment itself and the said mechanism should ensure time-bound treatment of complaints. Such mechanism should provide, when necessary a complaint committee, a special counsellor or other support services and maintain confidentiality in such matters;
- (5) Such complaint committee should be headed by a woman and not less than half of its members should be women, beside a non-government at organisation's representation in the committee and such person should be familiar with the issues of sexual harassment;
- (6) The female employees should be made aware of their rights in particular by prominently notifying the guidelines on the subject;
- (7) Wherever there is a harassment at the instance of a third party, either by an act or omission the employer and person in charge of the establishment should take all steps necessary and reasonable to assist the affected person in terms of support and preventive action;

- (8) The employer of the Shops and Commercial Establishment shall provide proper lighting not only inside the establishment, but also in the surroundings of the establishment and in all places where the female workers may move out of necessity in the course of their work;
- (9) The employer shall see that the women workers are employed in a batch not less than ten and the total of the women workers employed in a night time shall not be less than 2/3rd of the total strength;
- (10) Sufficient women security shall be provided during the night time at entry as well as exit points;
- (11) Sufficient number of waiting sheds shall be provided for the female workers to arrive in advance and also leave after the working hours;
- (12) Separate canteen facility shall be provided for the female workers;
- (13) Separate transportation facility shall be provided by the employer or the owner of the establishment. The employer shall ensure pick up and drop transport facility under security from the women employee's residence to the work place during the night shift;
- (14) The employer shall appoint not less than two female wardens at night who shall go round and work as Special Welfare Assistants;
- (15) The establishment shall provide appropriate medical facilities and also make available at any time of urgency necessary telephone connections and where more than hundred female workers are employed at night, a separate vehicle be kept ready to meet the emergent situation such as hospitalization;
- (16) Wherever the Shops and Commercial Establishment provides boarding and lodging arrangements for the female works, the same shall be kept exclusively for the women under the control of women wardens or supervisors;
- (17) During night time not less than 1/3rd of strength of the supervisors or shift-in-charge or foreman or other supervisory staff shall be women.

- (18) There shall be not less than twelve consecutive hours of rest or gap between the last period and the night period whenever a woman worker is changed from day period to night period and so also from night period to day period;
- (19) The provisions of the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958 and other statutory provisions with respect to the hours of work and the payment of equal remuneration and all other labour legislations shall be followed by the employer;
- (20) Apart from the facilities, which is permissible under the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958 an additional holiday shall be permitted for the women workers during menstruation period, which shall be a paid holiday for the night time;
- (21) The female workers who work in night shall have a monthly meeting through their representatives with principal employer once in eight weeks as grievance day and the employer shall try to cope all just and reasonable grievances;
- (22) The employer shall be at liberty to employ female workers as a whole or in part during night period, provided, the above directions be complied with;
- (23) The employer shall send a monthly report to the Govt. Labour Officer/Asstt. Labour Commissioner about the details of employees engaged during night time and shall also send report Immediately whenever there is some untoward incident to the Govt. Labour Officer/Asstt. Labour Commissioner and local Police station as well.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जगदीश चंद्र जटिया, उपसचिव.